फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत-सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी, बमुकाम-भीनमाल

वादी/प्रार्थी- पीताराम पुत्र देवाजी उम्र 55 वर्ष कौम मेगवाल नि. भीनमाल

बनाम

प्रतिवादी/अप्रार्थी- नगाराम पुत्र निम्बाजी कौम मेगवाल साकिन भीनमाल

किस्म मुकदमा – राजस्व वाद / प्रार्थना पत्र / प्रार्थना पत्र नंबर- 08/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
6.5.19	वादी (प्रार्थीगण) की ओर से अधिवक्ता श्री नन्दपाल सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण जरिए नोटिस तलब होकर मिशल आयंदा तारीख 27.5.2019 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलेक्टर भीनमाल	
27/5/19	वकलाय फरीकेन हाजिर। आज पीठा. अधि. मुख्यालय से बाहर दौरे पर विराजते हैं अतः मिसल दिनांक 17.6.19 को पेश हो।	
17-6-19	वकलाय प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामील प्राप्त हुये। अप्रार्थीगण को तीन बार हलग आवाज लगवाई गई मगर उपस्थित नहीं हुये अतः अप्रार्थी 1,2 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है मिसल वास्ते मुनासिब तारीख दिनांक 3.7.19 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर भीनमाल जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी – दौलतराम चौधरी आर.ए.एस.
राजस्व प्रकरण संख्या–08 / 2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 वीजाराम पुत्र देवाजी 2 रमेश कुमार पुत्र देवाजी 3 श्रीमति सुखीदेवी पुत्री देवाजी 4 मोकी देवी पत्नि देवाजी कौम मेघवंशी साकीनान भीनमाल		1 बगदाराम पुत्र निम्बाजी 2 चतराराम पुत्र निम्बाजी कौम मेघवंशी साकीनान भीनमाल 3 भूमिधारी तहसीलदार भीनमाल

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 25.9.19

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी 2 की सामलाती ,खातेदारी भूमि मौजा भीनमाल ए में खसरा नम्बर 1856,1857 कुल रकबा 3.25 हैक्टर की आयी हुई है जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है उक्त वादग्रस्त आराजी सामलाती है बन्टवाडा नहीं होने के कारण उपजाउ करने बैंक से लोन लेने आदि की समस्या रहती है इसलिए इस भूमि का हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउन्डस बन्टवाडा करने हेतु वाद भी पेश किया गया है। इसलिए माफीक इस्तदुआ अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद सादिर फरमाई जावे।अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया परन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ फलस्वरूप जवाब बन्द किया गया।

हमने दोनो पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी व प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 व 2 की सामलाती अविभाजित आराजी दर्ज है तथा नक्शा किश्तवार में भी विभाजन इत्यादि नही है। चुकिः इस न्यायालय हाजा के समक्ष एक वाद बाबत बन्टवाडा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है जिसमें जवाब के पश्चात तनकीयात कायमी के बाद ही दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर निर्णय सम्भव होगा ऐसी स्थिति में उक्त वादग्रस्त आराजी की मौके की स्थिति ताफैसला वाद तक यथावत रखे जाने हेतु दोनो पक्षकारान को पाबन्द किया जाना न्यायसंगत होगा।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा भीनमाल ए में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1856 व 1857 कुल रकबा 3.25 हैक्टर की मौके की स्थिति को दोनो पक्षकारान यथावत बनाए रखेंगे।

निर्णय आज दिनांक 25.9.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner

वीजाराम बनाम जगदाराम

किस्म मुकदमा I प्रकरण संख्या 08 / 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.9.19	वकुलाए फरीकेन उपस्थित। प्रमाण का अवलोकन किया गया बहस सुनी गई मामले मे [illegible] बाद बहस आई निर्णय [illegible] मौके की स्थिति दोनों पक्षकारान यथास्थिति बनाए रखे विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] सहायक कलेक्टर, भीनमाल	

Scanned by CamScanner